राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–115/2023

श्याम सिंह परिहार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव शिक्षा विभाग (प्राथमिक) राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग (प्राथमिक), जोधपुर संभाग, जोधपुर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर, राजस्थान।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (जोधपुर शहर), प्राथमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.02.2023
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया है:–

" (a) The respondents may kindly be directed to grant the benefits of III ACP with effect from 01.07.2019 along with interest;

(b) The respondents may kindly be directed to grant the benefits of Annual Increments which are due from 01.07.2019, 01.07.2020, 01.07.2021 & 01.07.2022 with all consequential benefits;

(c) The respondents may kindly be directed to consider the candidature of the appellant for promotion if the appellant falls in the zone of consideration for next promotion and accord the same with all consequential benefits;

(d) Any other appropriate writ or order or direction which is favorable to the appellants in the facts and circumstances of the case may kindly be granted to the appellant.

(e) Costs of the litigation be allowed in favour of the appellants"

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1971 के प्रावधानों के तहत आदेश दिनांक 16.03.1992 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–1 पर अंकित है। वर्ष 1997 में प्रयोगशाला सहायक के पद को अधिशेष घोषित कर प्रयोगशाला सहायक के पद को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर पे–स्केल 1200–125 रूपये वेतनमान में समाहित कर दिया गया है तथा अपीलार्थी को कार्यालय आदेश दिनांक 15.10.1997 (अनुलग्नक–2) द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बापिणी, जिला जोधपुर में पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.12.1997 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकुंडा जिला जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। 18 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2010 से पे–स्केल 9300–34800 तथा ग्रेड–पे 3600/– में द्वितीय एसीपी/चयनित वेतनमान प्रदान की गई है। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। वर्ष 2019 में अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 181/2019 पुलिस स्टेशन, मंडोर में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2019 द्वारा अपीलार्थी को निलंबित कर दिया और बाद में आदेश दिनांक 08.01.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी का निलंबन रद्द कर बहाल कर दिया गया एवं अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, निम्बा नीमबड़ी, जोधपुर में शिक्षक ग्रेड–।।। (लेवल–।) में नियुक्त किया गया। इसके बाद दिनांक 26.02.2019 (सही तिथी 26.09.2019) को प्रत्यर्थी संख्या–3 ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील), नियम 1958 (यहां संक्षेप में 1958 के नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 16 के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस स्टेशन मंडोर, जोधपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 181/2019 आपराधिक मामले के आधार पर आरोपों का एक ज्ञापन जारी किया, जो अनुलग्नक–6 पर उपलब्ध है। तृतीय एसीपी जो 27 साल की सेवा पूरी होने पर दिनांक 01.07.2019 को देय थी, अपीलार्थी को बिना किसी कारण के प्रदान नहीं की गई है। अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी दिनांक 01.07.2010 को प्रदान की गई थी इसलिए तृतीय एसीपी दिनांक 01.07.2019 को देय है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि दिनांक 26.09.2019 को आरोपों का ज्ञापन जारी करके विभागीय जांच शुरू की, इसलिए तृतीय एसीपी विभागीय जांच शुरू करने से पहले देय थी, इसलिए अपीलार्थी को तृतीय एसीपी

का लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा जा सकता है। कर्मचारी को प्रति वर्ष 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्वि दी जाती है। अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2019, 01.07.2020, 01.07.2021 और 01.07.2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्वि भी बिना किसी कारण स्वीकृत नहीं की गई है। अपीलार्थी के निवेदन करने पर मौखिक रूप से सूचित किया गया है कि उसके खिलाफ नियम 1958 के नियम 16 के तहत एक विभागीय जांच लंबित है, इसलिए उपरोक्त सेवा लाभ नहीं दिए जा सकते हैं। जबकि अपीलार्थी कर्मचारी को सजा का आदेश पारित करने से पहले दो बार या उससे अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को बिना कारण देय सेवालाभों से वंचित रखा जा रहा है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि दिनांक 01.07.2019 से तृतीय एसीपी का लाभ प्रदान किया जाकर सभी परिणामी लाभों के साथ दिनांक 01.07.2019, 01.07.2020, 01.07. 2021 और 01.07.2022 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ स्वीकृत किया जावे। साथ ही पदोन्नति के लिए अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए निर्देशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान हेतु निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होता है, परन्तु अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसने 27 वर्षीय एसीपी के लिए अपने विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया हो। अपीलार्थी द्वारा राज्य कर्मचारी के लिए निर्धारित आचरण नियमों के विपरीत आचरण पाए जाने पर निलंबित किए जाने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई, जो विचाराधीन है तथा अपीलार्थी द्वारा स्वयं एसीपी एवं नियमित वेतन वृद्वि हेतु कोई आवेदन किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध नियम विरूद्ध आचरण के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है एवं विभागीय कार्यवाही के तहत विभागीय जांच विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील विचारणीय नहीं है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को 27 वर्षीय सेवा पर देय तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2019 से देय था, उसे स्वीकृत नहीं करने एवं दिनांक 01.07.2019 एवं उसके पश्चात प्रतिवर्ष देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करने पर यह अपील प्रस्तुत की है। 18 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपीलार्थी को

दिनांक 01.07.2010 से पे–स्केल 9300–34800 तथा ग्रेड–पे 3600/– में द्वितीय एसीपी/चयनित वेतनमान प्रदान की गई है। वर्ष 2019 में अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 181/2019 पुलिस स्टेशन, मंडोर में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06. 2019 द्वारा अपीलार्थी को निलंबित कर दिया और बाद में आदेश दिनांक 08.01. 2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी का निलंबन रद्द कर बहाल किया गया है। इसके बाद दिनांक 26.09.2019 को प्रत्यर्थी संख्या–3 ने सीसीए नियम के नियम 16 के तहत आरोप–पत्र जारी किया। अपीलार्थी को 16 सीसीए में जारी आरोप पत्र उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से विभाग की छवि धूमिल होने एवं आचरणों नियमों का उल्लघंन करने के आधार पर दिया है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि दिनांक 26.09.2019 को आरोपों का ज्ञापन जारी करके विभागीय जांच करने पर विचार किया गया था, जबकि तृतीय एसीपी विभागीय जांच हेतु आरोपों का ज्ञापन जारी करने से पहले देय थी। इसलिए अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग का निवेदन रहा है कि अपीलार्थी ने 27 वर्षीय एसीपी के लिए अपने विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा राज्य कर्मचारी के लिए निर्धारित आचरण नियमों के विपरीत आचरण पाए जाने पर निलंबित किया गया एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई, जो वर्तमान में विभागीय जांच विचाराधीन है तथा अपीलार्थी द्वारा एसीपी एवं नियमित वेतन वृद्वि हेतु कोई आवेदन किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तृतीय एसीपी दिनांक 01.07.2019 से देय है। उस तिथी तक अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं थी एवं दर्ज आपराधिक प्रकरण में अपीलार्थी को अभी तक दोषी नहीं माना है। अतः अपीलार्थी को तृतीय एसीपी स्वीकृत करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी को वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करने का विषय है यह सुस्थापित विधि है कि वेतन वृद्धि तभी रोकी जा सकती है जबकि किसी विभागीय जांच में वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है एवं वेतन वृद्धि रोकने का कोई दण्ड जारी नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करना नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी नियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि

स्वीकृति का अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8124/2012 मानसिंह हाडा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2014 द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः—

"Learned counsel for the respondents opposed the writ petition and submitted that suspension of the petitioners was revoked only because trial was getting delayed but eventually the period of suspension would be regularized with reference to Rule 54 of the Rajasthan Service Rules, 1951 only after conclusion of trial. If petitioners are acquitted, respondents shall decide whether or not they are being paid differential amount of salary i.e. total emoluments including subsistence allowance and whether period of suspension would be treated to be on duty.

The aforesaid argument of the learned counsel for the respondents would not be justified for not granting the benefits aforesaid. Be that as it may, the benefit of consequential benefits of that part only can be decided as and when final under Rule 54 of the RSR is passed. However, Petitioners would be entitled to payment of annual grade increment, revision of pay and selection scale together with interest.

In the result, the writ petition is allowed. Respondents are directed to grant to the petitioners the benefit of due annual grade of increments deeming petitioners throughout in service, revision of pay consequent upon acceptance of recommendation of 5th and 6th Pay Commission and also the Selection Scale. The arrears shall be paid with interest @9% p.a. within a period of three months."

साथ ही एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9772/2011 सरदार मल बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 द्वारा भी इस संबंध में अनुमति प्रदान की गई, जिसका प्रासंगिक अंश निम्न प्रकार हैः—

"I have considered rival submissions and perused the record and find that benefit of grade increment can be withheld when anemployee is under suspension. In the case in hand, the order of suspension has already been withdrawn, thus petition is not under suspenseady been is no provision to deny benefit of increments rather it can be withheld only if one is punished with punishment of grade increment. So far as the criminal case and recall of order of suspension subject ot aforesaid cannot effect the grant of increment. It can only be for full waes during period of suspension or be restricted to the benefit alread given. In that case also bnefit of grade increment cannot be denied because petitioner is not under suspension now. One is not entitiled for increment during the period under suspension."

जहां तक अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का बिन्दु है। प्रस्तुत अपील में यह स्पष्ट नहीं है कि उसे पदोन्नति से वंचित रखा गया हो अथवा वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में नाम होने के उपरान्त भी उसके नाम पर

पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया हो। अतः यह बिन्दु प्रिमेच्योर होने से इस स्टेज पर विचारणीय नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन तथा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपील इस हद तक स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2019 से स्वीकार किया जावे एवं दिनांक 01.07.2019 से बकाया वार्षिक वेतन वृद्वि स्वीकृत की जावे एवं बकाया राशि का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग 3 माह में आदेश की पालना करना सुनिश्चित करेगा।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य